दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23/1/18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित है कि वादी ने उपरोक्त उनवानी वाद ग्राम हीरापुरा पटवार हल्का लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित खाता संख्या 59, 60, 90 जिसके बाबत् वादपत्र की मद संख्या 1 लगायत 3 में वादीगण ने स्पष्ट रूप से प्लीड्गिस कर उक्त खातों में वर्णित भूमि का विभाजन चाहा है। वाद में वर्णित खाता संख्या 59 के खसरा नंबर 289 के सहकाश्तकारान एवं वादपत्र की मद संख्या 2 व 3 में अंकित खाता संख्या 60 व 90 के खसरा नंबर 239, 240/530, 162 के सहकाश्तकार अलग–अलग है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 (5) के अनुसार " एक से अधिक भूमि क्षेत्रों में बंटवारे के लिए एक ही दावा किय जा सकता है बशर्ते की उसके पक्षकार वे ही हो'। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अभिवचनों के अनुसार वादी का वाद व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11(डी) से बाधित होने के कारण बार्ड बाई लॉ होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण का वाद विधि विरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें। वकील वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे में अंकित है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अभिवचन एंव वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज जमाबंदी अनुसार अप्रार्थीगण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 समस्त खातों में सह काश्तकार है। वाद पत्र में उसके साथ संलग्न दस्तावेज में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 प्रत्येक खाते में अर्थात खाता संख्या 59, 60 एवं 90 में अधिकांश वादीगण प्रार्थीगण के साथ सह काश्तकार के रूप में अंकित है और इसी आधार पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 को वाद में पक्षकार बनाकर एक साथ वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। यदि अलग–अलग खातों के लिए अलग–अलग वाद संस्थित किये जाते है तो वाद बहुलता अत्यधिक होगी और	

सहायक कलक्टर एवम् कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर द्वितीय

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
		पक्षकारों का अनावश्यक खर्चा होगा साथ ही न्यायालय का भी समय बर्बाद होगा। जवाब के अतिरिक्त कथन में अंकित है कि प्रतिवादीगण को जो भी आपत्तियां वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में अंकित प्लीडिंग्स के विरूद्व लेनी है वे अपने जवाब दावे में ही ले सकते है उसके पश्चात् यदि आवश्यक हो तो माननीय न्यायालय विधिक विवाद्यक बनाकर सर्वप्रथम उसका निस्तारण कर सकती है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर वादीगण का वाद खारिज नही किया जा सकता। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीस मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें। प्रार्थना पत्र पर बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। बहस प्रार्थना पत्र में वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का विवेचन किया। वकील अप्रार्थी/वादीगण ने अपनी बहस में अपने जवाब में अंकित कथनों का विवेचन करते हुये प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर है कि वकील अप्रार्थी/वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2071 से 2074 ग्राम हीरापुरा पटवार हल्का लुनियावास भू.अ.नि.क्षेत्र लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित में खाता संख्या 59 के खसरा नंबर 289 के सहकाश्तकारान एवं वादपत्र की मद संख्या 2 व 3 में अंकित खाता संख्या 60 व 90 के खसरा नंबर 239, 240/503, 162 के सहकाश्तकार अलग–अलग है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 (5) के अनुसार " एक से अधिक भूमि क्षेत्रों में बंटवारे के लिए एक ही दावा किया जा सकता है बशर्ते की उसके पक्षकार वे ही हो"। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23/1/2018 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर एवं ... मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर द्वितीय	